न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 135/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/478

उनवान

1. देवेन्द्र सिंह पिता शेरसिंह राजपूत निवासी कुंचोली तहसील मावली जिला उदयपुर।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री विरेन्द्र सिंह पिता उंकार सिंह राणावत व अन्य निवासी खारियावाला, सनवाड रिको इंडस्ट्रियल एरिया के पास, नगरपालिका फतहनगर सनवाड तहसील मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. स्वयं प्रार्थी देवेन्द्र सिंह राजपूत।

2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी 1 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 13.04.2026

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि नगरपालिका फतहनगर सनवाड के पड़ौस में मेरी खातेदारी कृषि भूमि अवस्थित है। लेकिन पड़ौस के विरेन्द्र सिंह द्वारा कुटरचित दस्तावेज व अन्य तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उन्हें सुनवाई का मौका देते हुए प्रकरण का निस्तारण कर मेरी सम्पूर्ण कृषि भूमि का सीमांकन पक्के मुरबे द्वारा किया जावे ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद पैदा नही हो पाए। मैंने किसी भी पड़ौसी की भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है ना ही अपनी भूमि पर अतिक्रमण को चाहता हूं। अंत में निवेदन किया की श्रीमान से क्रमबद्ध निवेदन है कि नियमानुसार पडौसी को सुनवाई का अवसर देते हुए मेरी मौजा सनवाड, पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली में स्थित आराजी नम्बर 4530, 4531, 4532 व 4550 की पत्थरगढ़ी करवाई जावे।
2. प्रकरण में विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा सनवाड, तहसील मावली में स्थित आराजी नम्बर 4530, 4531, 4532 अपनी खातेदारी की बताते हुए, वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये, पडौसी विरेन्द्रसिंह व अन्य को मौका देते हुए नगर पालिका व प्रार्थी की आपसी सहमती से पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र तारीख 04.08.2025 का लिखा हुआ तारीख 08.08.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो विधिवत नहीं है। प्रार्थी ने आराजी नम्बर 4530, 4531, 4532 के चारों दिशाओं के सह–खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है, न यह बताया है कि इस आराजी की पत्थरगढ़ी कराने के लिये क्यों आवश्यकता है व क्या विवाद है, जिसको न्यायालय को

तय करना है। जिसके अभाव में पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा कथित प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि नगर पालिका व प्रार्थी की सहमती से पत्थरगढ़ी कराई जावे, जो भी अस्पष्ट है। नगर पालिका का उक्त आराजी नम्बर से कोई सम्बन्ध नहीं है, प्रार्थी नगर पालिका की आड़ में पहले तो नगर पालिका से मिलकर पत्थरगढ़ी कराने की कोशिश की, तत्पश्चात् तहसीलदार से मिलकर पत्थरगढी कराने की कोशिश की। इस तरह कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपनी राजनिती का नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिये इस तरह के हथकंडे अपनाये गये तथा वास्तविक तथ्यों को छिपाया गया। जबकि प्रार्थी का उद्देश्य उक्त आराजी से विपक्षी को बैदखल कर जबरन कब्जा करना चाहता है, जिसके लिये काफी कोशिश कर ली है। जब हथकण्डे से प्रार्थी को उक्त आराजी पर कब्जा नहीं मिला तो कथित कार्यवाही की पत्रावली को इस न्यायालय में तलब कराई है, जिसमें विपक्षी को कोई सूचना नहीं दी गई है तथा मिलीभगत कर कार्यवाही करा रहा है, जो धारा 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधान में नहीं आने से इस गलत कार्यवाही में उक्त पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र वास्तविकता को छिपाते हुऐ, इस न्यायालय में तारीख 08.08.2025 को प्रस्तुत किया है।

3. वास्तविकता यह है कि मौजा सनवाड़ की आराजी नम्बर 4530, 4531, 4532 जिसके साबिक आराजी नम्बर 3018, 3016/1ख है। जिसे खातेदार देवेन्द्रसिंह के परदादा नाथुसिंह ने तारीख 16.09.1959 को 99/– रूपये में मौखिक रूप से भवानीसिंह पिता गोवर्धनसिंह जी राणावत को विक्रय कर दी व कब्जा सौप दिया, जिसकी ताईद में प्रार्थी के दादा स्वरूपसिंह जी ने तारीख 19.06.1966 को 3/– रूपये के स्टाम्प पर विक्रय पत्र की लिखापढी कर दी है. विक्रय के बाद उक्त आराजीयात पर भवानीसिंह पिता गोवर्धनसिंह जी काबिज चले आये है तथा भवानीसिंह जी की मृत्यु बाद उनके पुत्र ऊंकारसिंह जी काबिज चले आये तथा ऊंकारसिंह जी की मृत्यु बाद विपक्षी विरेन्द्रसिंह काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजीयात खरीदने के बाद इस पर विपक्षी के दादाजी के समय से मकान बने हुऐ है, इस भूमि पर कुंआ खुदवाया है, बिजली का कनेक्शन ले रखा है व तारबन्दी कर रखी है तथा इस भूमि में जो बन्जर भूमि भी उसमें काफी मेहनत मजदुरी कर कृषि योग्य बनाया है व कृषि कर रहे है, इन्ही आराजीयात में जो खड्डा था उसे समतल कर खेती योग्य बनाया है व खेती कर रहे है। इस तरह खरीदशुदा पुरी जमीन पर विपक्षी काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजी विपक्षी के दादा भवानीसिंह जी के दर्ज नहीं होने से भवानीसिंह जी व गुलाबीबाई पत्नि भवानीसिंह जी ने प्रार्थी के पिता शेरसिंह, चतरसिंह, विरवृतसिंह पिता स्वरूपसिंह जी राजपुत के विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलेक्टर, वल्लभनगर में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जो दोनों पक्षों को सुनकर तारीख 10.06.1998 को बिना किसी आधार के खारीज कर दिया, जबकि वादी ने विक्रय पत्र प्रदर्श–1 साबित कर दिया है, इस

प्रकरण के मुकदमा नम्बर 135/93 वाद पत्र है, जिसकी अपील भवानीसिंह व गुलाबीबाई ने न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के यहां प्रस्तुत की, जो बाद सुनवाई तारीख 28.11.2002 की अपील भी बिना किसी आधार के खारीज कर दी । जिसके मुकदमा नम्बर 111/2000 है, जिसका अनयान भवानीसिंह बनाम् शेरसिंह है। न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्य अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय तारीख 28.11.2002 के विरुद्ध भवानीसिंह आदि ने द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की, दौराने अपील भवानीसिंह की मृत्यु हो जाने पर नाम कायमी का प्रार्थना पत्र मयाद में प्रस्तुत नहीं होने से अबेट होना मानकर अपील खारीज कर दी। जिसके विरूद्ध भवानीसिंह के वारीसान इन्द्रसिंह, विरेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह, पुष्पाकुंवर ने शेरसिंह के वारीसान शंकरकुंवर, देवेन्द्रसिंह, चतरसिंह, विरवृत्तसिंह, जिला कलेक्टर उदयपुर, उपजिला कलेक्टर मावली, तहसीलदार मावली के विरूद्ध ने माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जोधपुर में रीट पिटीशन दायर कर रखी है, जो विचाराधीन होकर पेशी तारीख 01.12.2025 की नियत है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में रीट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में विचाराधीन है, जिसमें इस प्रकरण का प्रार्थी देवेन्द्रसिंह व विपक्षी विरेन्द्रसिह पक्षकार है तथा जिला कलेक्टर, उदयपुर, उपजिला कलेक्टर, मावली व तहसीलदार मावली भी पक्षकार है तथा विवादित आराजीयात इस रीट पिटीशन में विवादित है, इन सभी तथ्यों को प्रार्थी देवेन्द्रसिंह ने छिपाकर कथित पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है. जो चलने योग्य नहीं है तथा चुकिं रीट पिटीशन में यह न्यायालय भी पक्षकार है. ऐसी अवस्था में इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करना भी न्याय संगत नहीं है तथा उक्त रीट पिटीशन के निर्णय तक यह प्रार्थना पत्र मेन्टिनेबल नहीं होने से इसी स्तर पर खारीज होने योग्य है। उक्त आराजीयात पर कब्जा विपक्षी विरेन्द्रसिंह व उनके भाईयों का चला आ रहा है, जो 1959 से चला आ रहा है तथा विपक्षी के दादा के नाम वैद्य विक्रय पत्र तारीख 19.06.1966 का है। प्रार्थी राजनिति का दबाव बना कानून के विरूद्ध पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी नहीं है, लेकिन पत्थरगढ़ी की आड़ में उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तारीख 08.08. 2025 को इस न्यायालय में दर्ज हुआ है, उसके पूर्व पत्थरगढ़ी का कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है, इसके बावजुद भी पत्थरगढ़ी करने हेतु कमेटी की नियुक्ती की गई है व पुलिस इम्दाद हेतु भी आदेश जारी किया गया है। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है व राजनिति का प्रभाव नजर आता है, यह प्रकरण न्यायिक प्रकरण है, जिसमें राजनिति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

4. यह कि प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी बिना किसी प्रार्थना पत्र के पत्थरगढ़ी बाबत कमेटी कायम की गई है व पुलिस इग्दाद

का रूक्का भी जारी कर दिया गया है तथा यह भी पत्रावली से स्पष्ट नहीं कि पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र इसके पूर्व किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पत्रावली पर कैसे आये है व किसने पेश किये है व किसके आधार पर कार्यवाही की गई है तथा इस न्यायालय द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रकरण विचाराधीन होने व खातेदार द्वारा तथ्य छिपाकर पत्थरगढ़ी कराई जा रही है, पत्थरगढ़ी की पालना अग्रिम आदेश तक स्थगित रखी जाने का आदेश दिया गया है. उसके बावजुद भी प्रार्थी द्वारा कथित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। पूर्व में प्रार्थना पत्र तहसीलदार के यहां प्रस्तुत हुआ है, जिसका श्रवणाधिकार तहसीलदार को नहीं है। जिसमें भी पड़ौसी खातेदार पक्षकार नहीं है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि इस न्यायालय में इसी तरह का प्रकरण रमेश बनाम् कृष्णादेवी, मुकदमा नम्बर 24/2025 में भी आदेश होने के बाद पत्थरगढ़ी के आदेश को आगामी आदेश तक आदेश की पालना नहीं करने का आदेश दिया गया है, जिसकी प्रति भी विपक्षी की ओर से पूर्व में पेश कर रखी है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र महज विपक्षी व उसके परिवार के व्यक्तियों को परेशान व जलिल कर जबरन कब्जा करने हेतु प्रस्तुत किया है, जो मय खर्चा खारीज होने योग्य है। अंत में निवेदन किया की प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

5. प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी की बहस पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम पर सुनी गई। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया की न्यायालय द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी सम्बंधित लंबित कार्यवाही को फसल कटाई के उपरांत 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य मय पुलिस जाप्ता अमल पालना के फरमाया जाने के आदेश जारी करने एवं उससे पूर्व आवश्यक रूप से पत्थरगडी प्रकरण में बदनियती पूर्वक लंबित करने का पड़ोसी प्रतिवादी प्रारंभिक स्तर से न्यायालय के द्वारा प्रदत विश्वास के विरुद्ध सबंध कपट, संज्ञान में विधि कि भूल को कारित कर, साजिश के तहत कानून के दुरुपयोग सहित प्रमाणित धोखाधड़ी कि आपराधिक गंभीरता के फलस्वरूप BNSS कि धारा 379 के सम्बन्ध मे मुझ प्रार्थी कि दिनांक 05/12/2025 से लंबित प्रार्थना पत्र पर विधि अधीन न्यायोचित नजीर निर्णय फरमाया जावे, ताकि भविष्य मे कोई भी पड़ोसी व कोई भी व्यक्ति साजिश के तहत, कपटपूर्वक कानून के दुरुपयोग से परेज करें तथा मेरी निजी खातेदारी कृषि भूमि में जबरन अनाधिकृत प्रवेश हेतु पडोसी खातेदार को अविलम्ब उक्त निर्णय के साथ ही विधिवत मेरी निजी खातेदारी कृषि भूमि में विधि विरुद्ध अनाधिकृत प्रवेश ना करने हेतु पाबंद किया जावे, जिसके सम्बन्ध मे जरिये प्रारंभिक स्तर पर ही दिनांक 16/06/2025 के प्रार्थना पत्र जरिये पूर्व में निवेदन कर आप माननीय को संसूचित किया जा चूका है जो कानून व्यवस्था के लिहाज से अति आवश्यक है एवं मेरे

संवैधानिक व कानूनन अधिकार है। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है की पटवारी हल्का को राजस्व नक्शे में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने से रोकें एवं नगरपालिका फतहनगर सनवाड को आदेश प्रदान करे की विरेन्द्र सिंह व अन्य के हस्तगत मकानो के प्लॉट के संबंध में किस वैध विधिमान्य दस्तावेज के आधार पर निर्माण स्वीकृति दी गई जिसके संबंध में अवगत करावें। विपक्षी द्वारा झुठे तथ्यो, कूटरचित दस्तावेजो का मय शपथ पत्र उपयोग उपभोग करने, न्यायालय का गुमराह करने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 379 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध न्यायोचित कार्यवाही करें। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त प्रकरण केवल मात्र प्रकरण में वर्णित भूमि के सीमांकन से संबंधित होने से पटवारी हल्का एवं नगरपालिका सनवाड को पाबंद नही किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कुटरचित है या नही? के संबंध में भी जांच कर निर्णय करने का अधिकार इस न्यायालय का नही है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेंटेबल नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कार्यवाही करने के बाबत को खारिज किया जाता है।

मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 1285 पर दर्ज आराजी नम्बर 4530, 4531, 4532, 4550 किता 4 कुल रकबा 4.0874 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं उसकी बहन उर्मिला उर्फ आनंद कुंवर के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि का जमाबंदी अनुसार सहखातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। विपक्षी का कथन है कि उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नही है। साथ ही उक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जोधपुर में रीट पिटीशन दायर कर रखी है जो विचाराधीन है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी एवं विपक्षी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह जाहीर होता हो की उक्त भूमि पर स्थगन हो। साथ ही न्यायालय का मानना है कि उक्त प्रकरण में माध्यम में केवल मात्र भूमि की नपति कर सीमांकन किया जाना है। इससे राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शे पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी में प्रार्थी के नाम दर्ज होने से वह केवल मात्र पत्थरगड़ी करवाना चाहता है।

भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत पत्थरगड़ी की आड़ में कब्जा प्राप्त करने का या कब्जे से बेदखल करने का अधिकार किसी को नही है। उक्त प्रकरण के माध्यम से केवल मात्र भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी होती है। मौके पर जिस पक्षकार कब्जा है उसी पक्षकार का कब्जा रहता है। कोई भी पक्षकार उक्त पत्थरगड़ी के आदेश के संदर्भ में मौके पर जबरन कब्जा नही कर सकता है तथा ना ही मौके से किसी को बेदखल कर सकता है। यह प्रकरण कब्जा प्राप्त करने संबंधी नही है। केवल मात्र प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : <u>आदेश</u> : :

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 1285 पर दर्ज आराजी नम्बर 4530, 4531, 4532, 4550 किता 4 कुल रकबा 4.0874 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने या जबरन कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नही करें। पत्थरगड़ी करने के पश्चात उभय पक्षो का कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
8. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
9. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर